

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र- पलावा

पीठासीन अधिकारी - महेश चन्द्र मान (आर०ए०एस०)

दावा
270/2015

रजू दिनांक
31.12.2015

निर्णय दिनांक
03.05.18

अनुवान

1. शिम्भू पुत्र ओमकार जाति अहीर निवासी मिर्जापुर तह० मुण्डावर जिला अलवर, राज०

:-वादी

बनाम

1. धनीराम
2. प्रकाश
3. देशराज
4. हंसराज पुत्रान रामजीलाल जातियान चमार निवासी मिर्जापुर तह० मुण्डावर

:-प्रतिवादीगण

दावा-हु० ई० दवामी

अन्तर्गत धारा-188 राज० काश्त० अधि०

-:: पर्चा डिक्री:-

दिनांक:- 03.05.2018


वादी की ओर से स्वयं वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 03.05.2018 को श्री महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

हाल आराजी खं० नं० 804/353 रकबा 0.24 है० वाके ग्राम मिर्जापुर तह० मुण्डावर जिला अलवर के बाबत प्रतिवादीगण को जरिये हु० ई० दवामी से सदैव-सदैव के लिए पाबंद किया जाता है कि वे वादी के हिस्से की उक्त विवादित आराजी पर जबरन कब्जा नहीं करे ना ही वादी को आराजी से बेदखल करे ना ही वादी के कुल काश्त कार्य में मजाहमत ही पैदा करे ना ही वादी के खिलाफ कोई झूठा मुकदमा ही दर्ज करावे। मौके की यथास्थिति बनाये रखे, पाबंद रहे। मौके की यथास्थिति बनाये रखे, पाबंद रहे।



खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 03.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

 03.05.18

(महेश चन्द्र मान)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

मुण्डावर (अलवर)